

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 423]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2016

सं० 38/2016-सीमा शुल्क

सा.का. नि. 611 (अ).— केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, परंतुक में खंड (कग) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.-354/68/2006-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 30/2016-सीमा शुल्क, तारीख 5 मई, 2016 सा.का.नि. 485 (अ), तारीख 5 मई, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2016

No. 38/2016-Customs

G. S R. 611 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, after the Table, in the proviso, clause (ac) shall be omitted.

[F.No.354/68/2006-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended vide notification No.30/2016-Customs, dated the 5th May, 2016, published vide number G.S.R. 485(E), dated the 5th May, 2016.